

आदरजोग श्री सुशील कुमार शिंदे जी,
केन्द्रीय गृहमंत्री महोदय,
केन्द्र सरकार, नई दिल्ली ।

विषय : राजस्थानी भाषा की मान्यता हेतु ।

द्वारा :

राजस्थानी भाषा जो आजादी पूर्व राजस्थान, मालवा, उमरकोट (पाकिस्तान) की राजभाषा थी, जिसकी मेवाड़ी, ढूंडाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, वागड़ी, माळवी, ब्रज, मारवाड़ी, भीली, पहाड़ी, खानाबदोषी आदि बोलियां एवं डिंग़ल—पिंग़ल शास्त्रीय कविता की शैलियां हैं। इसके लाखों हस्तलिखित ग्रंथ शोध संस्थानों में प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिंधी, हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, मराठी के आदिकाल मध्यकाल राजस्थानी लिपि मुङ्गिया में ही है। हमारी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, वर्तमान गुजराती, पंजाबी की लिपियां इसी से विकसित हुई हैं। राजस्थानी के गीत छंद के 120 भेद हैं, जो विश्व की किसी भी भाषा के छंद शास्त्र में कम नहीं हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों यू.जी.सी. में शिक्षण व शौध की भाषा है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाओं, टी.वी. चैनल में प्रसारण राजस्थानी में हो रहा है। नाटक व फिल्मों में अभिनय व रंगकर्म का श्रेष्ठ माध्यम साबित हो रही है। अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने राजस्थानी को विश्व की समृद्धतम 13 भाषाओं में से एक मानते हुए पदमश्री कन्हैयालाल सेठिया की 75 मिनट की रिकार्डिंग कर संग्रह में रखी है। शिकागो विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई भाषा विभाग में राजस्थानी एक विषय रूप में है। पाकिस्तान में 'राजस्थानी कायदो' नाम से व्याकरण चलती है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर एवं भारत सरकार की साहित्य अकादमी एवं अन्य देश दुनिया के साहित्यिक मंचों से राजस्थानी सृजनर्धमियों ने राजस्थानी को प्रतिष्ठापित किया है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8 वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए राजस्थान विधानसभा ने 25 अगस्त, 2003 को सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार के पास भेज दिया, जो वहां लंबित है।

अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति प्रदेश व देश-दुनियां में राजस्थानी मान्यता का आन्दोलन अग्रिम संगठन राजस्थानी मोट्यार परिषद्, राजस्थानी चिंतन परिषद्, राजस्थानी महिला परिषद्, राजस्थानी खेल परिषद्, राजस्थानी फिल्म परिषद व सैकड़ों साहित्य, समाज, संस्कृति की संस्थाओं के माध्यम से चला रही है। हजारों बैठकें, गोष्ठियां, सम्मेलन, धरने, प्रदर्शन, रैलियां, मुख्यपत्ती सत्याग्रह जैसे आयोजन हुए हैं। केन्द्र सरकार ने राजस्थानी को अब तक मान्यता नहीं देकर जन भावनाओं एवं प्रदेश का अपमान किया है।

अतः केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मातृभाषा राजस्थानी को संविधान की 8 वीं अनुसूची में जोड़ा जाय।

जै राजस्थान, जै राजस्थानी।

अरजवंत